

बिन्दु 3/4: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा- 4(1) (ख) के अनुसार विभाग से संबंधित जानकारीयां

(1) अपने संगठन की विशिष्टियां , कृत्य और कर्तव्य :

इस संस्था द्वारा डिप्लोमा तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने संबंधित , पठन-पाठन का कार्य एवं कार्यकुशल इंजीनियर हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। छात्रों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना।

(2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

1. संस्था द्वारा छात्रों को डिप्लोमा तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश का कार्य।
2. आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का छात्रवृत्ति संबंधित योजना का लाभ दिया जाना।

(3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:

लिपिक => मुख्य लिपिक => प्राचार्य => संचालक

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं के द्वारा स्थापित मापमान:

छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा आचार संहिता का पालन करना।

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख:

यथा समय शासन से जारी निर्देशानुसार कार्य संपादित करना।

(6) ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा पारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण:

तकनीकी शिक्षा से संबंधित दस्तावेज।

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यन्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है:

सभी नितियों के लिये यह व्यवस्था लागू है।

(8) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भागरूप में इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

विवरण:

संचालनालय के वेब साईट पर समय-समय पर अपलोड की जाती रहती है।

(9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :

स. कं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
प्रथम श्रेणी			
1	श्री एन. योगेश	प्र. प्राचार्य (माईनिंग)	7869233681
2	श्री विवेक कुमार मेहता	व्याख्याता (विद्युत)	9691067929
3	श्री गोवर्धन भारद्वाज	व्याख्याता (सिविल)	7999350818
4	सुश्री तृप्ति लावत्रे	व्याख्याता (सिविल)	8319427108
5	श्री शैलेन्द्र खरे	व्याख्याता (माईनिंग)	7999520595
6	श्री भूपेश कुमार देवांगन	व्याख्याता (सिविल)	8817796656
7	श्री हरेन्द्र कुमार खाण्डे	व्याख्याता (कम्प्यूटर साईस)	7354176476
8	श्री अवधेश कुमार सिंह	व्याख्याता (विद्युत)	7987953932
9	श्री रूपेश कुमार सिंह	व्याख्याता (रसायन)	9826473539

तृतीय श्रेणी			
1	श्री एम. के. शुक्ला	मानचित्रकार	9425580146
2	श्रीमती रेखा सरोज	सहा.ग्रेड 3	8839054579

चतुर्थ श्रेणी			
1	श्री महेन्द्र राम	स्वीपर	7879139237
2	श्री सुखलाल राम	फर्श	9753875027
3	श्री सुकुल कु. प्रजापति	आ. मजदूर	7974097432
4	श्री संतोष देवांगन	चौकीदार	9753568200
5	श्री विजयशंकर साहू	भृत्य	9165996888

(10) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट।

क्रं.	डी.डी.ओ. कोड - 2742006 मद का नाम	आबंटन	कुल व्यय	शेष राशि (सर्मपण राशि)
1	2	3	4	5
मांग संख्या 47-2203				
01	001 वेतन	18588697	18588697	0
02	003 मंहगाई भत्ता	4111000	2379150	1731850
03	006 मकान किराया भत्ता	461000	337908	123092
04	014 अन्य भत्ते	48000	31200	16800
05	015 चिकित्सा व्यय	150000	2439	147561
06	020 त्वौहार अग्रिम	24000	24000	0
योग		23382697	21363394	2019303
07	004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	300000	286797	13203
08	001 यात्रा भत्ता दौरे पर	50000	29502	20498
योग		350000	316299	33701
09	001 डाक तार पर व्यय	5000	5000	0
10	002 दूरभाष पर व्यय	20000	13368	6632
11	003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	200000	195164	4836
12	004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएँ	100000	99728	272
13	005 बिजली एवं जल प्रभार	300000	246940	53060
14	007 लेखन सामग्री	50000	49889	111
15	008 अन्य आकस्मिक व्यय	50000	49906	94
16	009 सूचना प्रौद्योगिकी	470000	68422	401578
योग		1195000	728417	466583
17	05-002 अन्य प्रशिक्षण	50000	7500	42500
18	10-010 सुरक्षा व्यय	100000	97339	2661
19	47-2203-00-105-0101-2668-11-001 मेरिट छात्रवृत्ति	18000	18000	0
20	11-013 संबद्धता शुल्क/निरीक्षण शुल्क	45000	40000	5000
21	24-002-अनुरक्षण कार्य मशीन उपकरण	10000	9500	500
22	24-011 भवन अनुरक्षण	100000	96070	3930
योग		323000	268409	54591
23	47-2203-00-105-0101-2668-25-001 सामग्री और पूर्तियां भंडार तथा कच्चा माल	20000	19591	409
24	47-25-006 अन्य व्यय	15000	13995	1005
25	27-002 लघु निर्माण कार्य	100000	99375	625
26	28-006 मशीन उपकरण	75000	74250	750
27	33 औजार एवं सयंत्र 003 आपरेटिंग/संधारण पर व्यय	20000	17700	2300
28	47-2203-00-105-0101-2668-86-000 कोचिंग प्रतियोगिताएँ (खेलकूद)	30000	0	30000
29	5672-11-001 बी.पी.एल.छात्रवृत्ति	30000	20000	10000
30	47-4202-02-104-0801-2668-28-006 मशीन उपकरण	4625000	4588043	36957
योग		4915000	4832954	82046
मांग संख्या 64-2203				
31	1853-25-006 ड्राइंग स्टेशनरी का प्रदाय	350000	349209	791
32	2993-04-004 बुक बैंक	50000	41208	8792
33	4068-86-000 विशेष कोचिंग प्रतियोगिताएँ	50000	0	50000
योग		450000	390417	59583
महायोग		30615697	27899890	2715807

(11) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं:

छात्रों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का लाभ, (तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अनुसार)

(12) अपने द्वारा अनदत्त रियायतों , अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां:

ए.आई.सी.टी.ई. मापदण्ड के अनुसार ट्यूशन फी व्हेवर स्कीम (TFW) के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क को छूट प्रदान की जाती है। (तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा)

(13) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो:

वेबसाईट <https://cgdteraiipur.cgstate.gov.in> में उपलब्ध है।

(14) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां , जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो , कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं:

“निरंक”

(15) छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी :

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आय की सीमा निम्नानुसार है।

क्र.	वर्ग	अधिकतम आय की सीमा	रिमार्क
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र)	
2	अनुसूचित जाति (SC)	2,50,000 (रूपये दो लाख पच्चास हजार मात्र)	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	2,50,000 (रूपये दो लाख पच्चास हजार मात्र)	

2. योग्यता छात्रवृत्ति:

छ.ग. शासन की योग्यता छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 12 वीं के मेरिट रैंक के आधार पर दिया जाना है। न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक से उपर प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पात्रता होगी। छात्रवृत्ति के पात्र छात्र-छात्राओं का चयन संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा किया जायेगा।

3. बी. पी. एल. (BPL) छात्रवृत्ति :

केवल सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हेतु जो बी.पी.एल. वर्ग में आते हैं।

4. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

वे ही विद्यार्थी पात्र होंगे जो अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं।

5. विकलांग छात्रवृत्ति:

6. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनु. जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:

1. स्थायी जाति प्रमाण पत्र
2. छ.ग. निवास प्रमाण पत्र।
3. आय प्रमाण पत्र, (समस्त स्रोतों से आय)
4. अंकसूची की सत्यापित फोटो कापी
5. बैंक पासबुक
6. आधार कार्ड
7. 10वीं/12वीं मार्कशीट छायाप्रति
8. अंतिम वर्ष की मार्कशीट की छायाप्रति

टीप:- सत्र 2023-24 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिये सर्वप्रथम विद्यार्थी राज्य सरकार द्वारा निर्मित वेबसाईट <http://mpsc.mp.nic.in/cgpms> से ऑनलाईन आवेदन करना होगा। उपरोक्त आवेदन को Lock करेंगे, जिससे उपरोक्त आवेदन विद्यार्थी द्वारा अध्ययनरत संस्था/महाविद्यालय के account में चला जायेगा। आवेदन को ऑनलाईन Lock करने के साथ-साथ विद्यार्थी उपरोक्त आवेदन का प्रिंट आउट भी निकालेंगे और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संस्था प्रमुख के पास जमा करेंगे। संस्था में प्रवेश संबंधित अन्य सूचना तकनीकी शिक्षा संचालनालय के वेब साईट <https://cgdteraiipur.cgstate.gov.in> में उपलब्ध है।

(16) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए:

प्रकाशित करेगा तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा :-

(17) लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां:

लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां		
श्री एन. योगेश	प्र. प्राचार्य	जनसूचना अधिकारी
श्री विवेक कुमार मेहता	व्याख्याता	सहायक जनसूचना अधिकारी